राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 900वी बैठक दिनांक 27.09.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 900वी बैठक दिनांक 27.09.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/449/2024	1(a)	राजगढ	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
2.	P2/1335/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1334/2025	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	P2/37/2024	1(a)	उज्जैन	पत्थर गिट्टी खदान	For Corrigendum	निरस्त
5.	8210/2021	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
6.	9458/2022	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
7.	3401/2015	1(a)	उज्जैन	पत्थर मुरम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	2074/2014	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
9.	6193/2019	1(a)	झाबुआ	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
10.	P2/1333/2025	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	P2/209/2024	1(a)	होशंगाबाद	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/206/2024	1(a)	होशंगाबाद	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/302/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/654/2024	1(a)	अनूपपुर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
15.	P2/315/2024	1(a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 900वी बैठक दिनांक 27.09.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/479247/2024, Case No P2/449/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 8.750 hectare, for production capacity of 21000 cum per annum, at Khasra No.- 79, Village - Jatiakheda, Tehsil - Biaora, District - Rajgarh (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Shashikant Tiwari Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

''प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि अक्टूबर 2024 की गूगल ईमेज में लीज क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है। प्रस्तुतीकरण के दौरान स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि रेत खदान पानी में डूबे होने की स्थिति में खनन कार्य करना संभव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं **SEAC** की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

2. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/521050/2025, Case No P2/1335/2025** Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method), in an area of 1.00 ha., for production capacity of Stone (Gitti)- 10,500 M3 per year, and M-Sand – 4,500 M3 per year, at Khasra No. 109/1 and 109/2, Village-Mansingpur, Tehsil Shahpur, District Betul, (MP) by Shri Hanuman Stone Crusher Prop: Shri Ankush Rai S/o. Shri Anil Rai, R/o. Ward no. 19 Pipariya , Tehsil- Pipariya, District Narmdapuram (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 796 वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्रमांक 315 दिनांक 29.02.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

3. Proposal No.: SIA/MP/MIN/534478/2025, Case No. P2/1334/25, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized method), in an area of 1.930 ha., for production capacity of 26,000m3 /year, at Khasra No. 152/1, Village-Nayakcharsi, Tehsil- Betul, District- Betul (M.P.) by M/s R.K.A Stones, Prop. Shri Nilesh Agrawal, R/o: Sai Aashiyana, Suyog Colony, Vikas Nagar Betul Tehsil & District Betul, Madhya Pradesh,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित लीज क्षेत्र खुदा हुआ परिलक्षित है एवं मिनरल्स के डम्प भी परिलक्षित है, किन्तु SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में खुदे हुए लीज क्षेत्र एवं डम्प के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरण स्वीकृति के उत्खनन किया गया है अथवा पूर्व में किसी अन्य के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त खुदे हुए लीज क्षेत्र के संबंध में SEAC द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल से स्थल निरीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर परीक्षण उपरांत SEIAA को अग्रेषित किया जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/540204/2025, Case No P2/37/2024**, Prior Environmental Clearance Stone (Gitty) Quarry (Opencast Semi Mechanized method), in an area of 1.368 Ha. for production capacity 26066 cum per annum, at Khasra No. 54/1, 54/2, village Shankarpur, Tehsil Ujjain, District Ujjain, (MP) by Smt. Sarsa Sharma W/o Shri Dinesh Kumar Sharma, R/o 65-Sudama nagar, Ujjain, District Ujjain (M.P.) **Application for Corrigendum Form-13**.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 887वी बैठक दिनांक 13.03.2025 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र दिनांक 25.03.25 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर **Application for Corrigendum Form-13** में आवेदन कर उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति की वैधता में विस्तार किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर निर्धारित फार्म–6 **(EC Validity Extension)** में आवेदन न करते हुए **Application for Corrigendum Form-13** में आवेदन किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु **EC Validity Extension (Form-6)** में आवेदन किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/540773/2025, Case No 8210/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 15000 cum per annum at Khasra No. 16/1 at Village - Leelakhadi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) by Smt. Manjeet Kaur W/o Shri Laal Singh, Junior IG, E-3/19, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 452001** Regarding transfer of EC in the name of **M/s Modi Enterprises Prop. Smt. Kalpna Jain R/o B-57, B-Sector, Kamla Nagar, District Bhopal (MP)**

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक प्रकरण में प्रकिया शुल्क की पॉवती प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

6. प्रकरण क्र. **9458/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री काथरू दुर्गा राव, निवासी मोहन टाकीज रोड जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलामाईट खदान उत्पादन क्षमता 1,00,657 टन प्रतिवर्ष (**As per Apporved Mining Plan**), रकबा 5.963 हेक्टेयर, खसरा 44/1, 65/1क, 65/3 ख (नया खसरा नं. 45, 52), ग्राम परईकाप, तहसील बडवारा जिला कटनी (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूनीवर्सल मिनरल्स, पार्टनर श्री सुभाष चंद बंसल, निवासी– नियर माधवनगर गेट, एमआईजी–2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शांति नगर, जिला कटनी (म.प्र.) के नाम किये जाने का आवेदन।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA से जारी पूर्व जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 01.03.2024 में निहित शर्तों में से मुख्यतः निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है :–

    - पर्यावरण स्वीकृति में निहित पौधों की संख्या में से कितने पौधों का रोपण कहां–कहां किया गया है के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ अक्षांश देशांश के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

    - पर्यावरण स्वीकृति में निहित सी.ई.आर. के तहत निर्धारित समयावधि में किये गये कार्यों के संबंध में किये गये आर्थिक सहयोग हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं सी.ई.आर. के तहत मुक्तिधाम एवं हैंडपम्प के प्रस्तुत फोटोग्राफ भी स्पष्ट एवं अक्षांश देशांश के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है।

    - पर्यावरण स्वीकृति में निहित लीज क्षेत्र के चारो ओर बिंड ब्रेकिंग वॉल (4मीटर) की स्थापना के संबंध में फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये गये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में निहित शर्तों का पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

7. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/540649/2025, Case No. 3401/2015:** Prior Environmental Clearance for Basalt Stone & Murrum Quarry (Opencast Manual /Semi Mechanized Method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of Basalt Stone 13856 cum/year & Murrum 5542 cum/year at Khasra no.305 at Village – Jalalkhedi, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (M.P.) by Shri Rajesh Anjna S/o Shri Ranachhod Singh Anjna, Village-Chandukhedi, Tehsil & District-Ujjain (MP)-456001 Regarding transfer of EC in the name of Shri Sachin Mukati R/O 11, Gumasta Nagar, Indore District Indore (MP)

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का अनापत्ति, नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 30.10.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश क्र. 1060/उ.प./न.क्र./37–20/खनिज/2023–24 दिनांक 13.03.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 02.11.2026 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु **01** वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक **03.11.2023** एवं **19.02.2025** के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/540587/2025, Case No. 2074/2014 - Prior Environmental Clearance for Basalt Stone Quarry (Opencast Manual/ Semi Mechanized Method) in an Area Of 2.000 Ha. for Production Capacity of 14,700cum/Year at Khasra No. 645 at Vill. Morgawan, Tehsil- Sardarpur, District- Dhar (M.P) By Dinesh Chandra Gupta S/O Shri Jagdish Prasad Gupta R/O Vill. - Sardarpur Teh - Sardarpur Disst - Dhar (MP) – 454111** Regarding transfer of EC in the name of **Shri Sarifbhai A Nandasaniya R/O Jaswantgarh Banaskantha, Tehsil Data, District Palanpur, Gujarat**.

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत लीज हस्तांतरण आदेश में पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री महेन्द्र व्यास, खसरा नम्बर 636, 645 एवं रकबा 1.00 हेक्टेयर को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री शरीफ भाई के नाम हस्तांतरित किया गया है, जबकि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति श्री दिनेश चंद गुप्ता, खसरा नम्बर 645 रकबा 2.0 हेक्टेयर के लिये जारी की गई है।
2. नवीन परियोजना प्रस्तावक का प्रस्तुत शपथ पत्र खसरा नम्बर 645, 636 रकबा 1.0 हेक्टेयर का प्रस्तुत किया गया है।
3. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का प्रस्तुत अनापत्ति शपथ पत्र में पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नाम गलत अंकित है एवं खसरा नम्बर 636, 645 रकबा 1.00 हेक्टेयर भी अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक का स्पष्टीकरण एवं सही दस्तावेज परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/540273/2025, Case No. – 6193/2019 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast manual/semi mechanized method) in an area of 1.20 ha. for production capacity of 9700 cum per annum at Khasra No. 234, 231 at Village - Nawapada, Tehsil - Meghnagar, Dist. Jhabua (MP) by Smt. Rekha Merawat, Village - Nawapada, Tehsil - Meghnagar, Dist. Jhabua, MP – 457779** Regarding transfer of EC in the name of **M/s Sobhit Rock World Private Limited, Director Shri Neeraj Sharma R/O- 9/1, Sidheshvar Colony District- Jhabua (M.P.)**

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक का अनापत्ति, नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 29.06.2019 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश 919 दिनांक 20.09.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 18.01.2031 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/518626/2025, Case No P2/1333/2025 Nepal Singh, Gram Sakarra, post edour teh esagarh, Sakarra, Ashok Nagar, Madhya Pradesh – 473335, Prior Environment Clearance for Proposed Flag Stone quarry area is 1.00 hectares. Flagstone - 1,500 M3/Year, at Khasra no. – 419, Village- Sakarra, Tehsil- Isagarh, Distt. – Ashoknagar (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र संदिग्त है उक्त शपथ पत्र में Identified by Me में पहचानकर्ता का नाम व पता अंकित नहीं है।
2. प्रकरण में खसरा पंचशाला भी अपलोड नहीं किया गया है।
3. ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्तावक की प्रति स्पष्ट नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक के **Original** दस्तावेज 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये एवं प्राधिकरण में हार्डकॉपी प्रस्तुत की जायें, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519377/2025, Case No P2/209/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 7.607 hectare, for production capacity of 91284 cum per annum, at Khasra No.- 98, Village - Buchal, Tehsil - Pipariya, District - Hoshangabad (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की **Replenishment Stduy** प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total depostion	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Buchal	98	2021-22	7.607	1081.10	7.607	1.80	136926	2.00	152140	152140	91284	0
			2022-23		2001.46	7.607	2.00	152140	3.00	228210	228210	136926	0
			2023-24		1256.10	7.607	3.0	228210	3.45	262441.5	262441.5	157465	0

उक्त **Replenishment Study** को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2025 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **Replnishiment Stduy** डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त **Replenishment Study** किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519308/2025, Case No P2/206/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 6.00 hectare, for production capacity of 72000 cum per annum, at Khasra No.- 206, Village - Singhodi, Tehsil - Pipariya, District - Hoshangabad (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Singhodi	206	2021-22	6.00	1081.10	6.00	1.80	108000	2.20	132000	132000	79200	49712
			2022-23		2001.46	6.00	1.35	81000	2.45	147000	147000	88200	0
			2023-24		1256.10	6.00	2.45	147000	2.9	174000	174000	104400	0

उक्त **Replenishment Study** को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 **की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित** मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

13. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519332/2025, Case No P2/302/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 5.00 hectare (As per SEAC recommendation mineable area is 3.10 ha.), for production capacity of 1200 cum per annum (as per SEAC recommendation), at Khasra No.- 1, 358, 529, 554, Village - Chidirawdiya, Tehsil - Nagda, District - Ujjain (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Dinesh Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Ujjain	Chidirawdiya	01,35,85,29,554	2021-22	5.00	1097.60	4.76	0.04	1904	0.07	3332	3332	1999.2	0
			2022-23		1251.28	4.76	0.07	3332	0.085	4046	4046	2427.6	0
			2023-24		1071.70	4.76	0.085	4046	0.095	4522	4522	2713	0

उक्त **Replenishment Study** को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 **की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार लीज क्षेत्र से 380 मीटर की दूर पर स्थित स्टॉप डेम के स्पैन की 05 गुना दूरी तक अप स्ट्रीम तरफ एवं खदान के बीचो–बीच स्थित रोड़ ब्रिज से दोनो ओर न्यूनतम 1–1 किलोमीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 5.00 हे. में से मात्र 3.10 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519904/2025, Case No P2/654/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 5.360 hectare, for production capacity of 96480 cum per annum, at Khasra No.- 75/78, 37/77, Village - Manpur, Tehsil-Anuppu, District -Anuppur (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Pramod Saxena Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"प्रकरण पर समिति द्वारा परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 19/12/2027 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त रेत खदान की पूर्व में 96,480 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी परंतु वर्तमान में रेत खदान की 96,480 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

15. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/475402/2024, Case No P2/315/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method), in area of 20.140 hectare (As per SEAC recommendation mineable area is 11.60 ha.), for production capacity of 70000 cum per annum (as per SEAC recommendation), at Khasra No.- 01, 02, 09, 371, 372, Village - Niwsai Ridiya-1, Tehsil - Ron, District - Bhind (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Ramakant Pandey Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की **Replenishment Stduy** प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Bhind	Niwsai Ridiya-1	01, 02, 9, 371, 372	2021-22	20.140	1046.40	16.187	2.35	380394.5	2.85	461329.5	461329.5	276797.7	0
			2022-23		1747.29	16.187	1.84	297840.8	3.02	488847.4	488847.4	293308.44	0
			2023-24		1206.70	16.187	1.72	278416.4	2.35	380394.5	380394.5	228237	0

उक्त **Replenishment Study** को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 798वी बैठक दिनांक 30.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत **Replnishiment Stduy** डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त **Replenishment Study** किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 20.140 हे. में से मात्र 11.60 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष